गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग
****

पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं

पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में हेलीकॉप्टर सब्सिडी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में किफायती यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निकासी और तत्काल चिकित्सा के लिए निकासी आदि प्रदान करना भी है। गृह मंत्रालय यात्री परिवहन से होने वाली वसूली की कटौती के बाद कुल परिचालन लागत का 75% अथवा वास्तविक परिचालन लागत का 20%, जो भी अधिक हो, को वहन करता है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निम्न तालिकानुसार निर्धारित की गई है:

पूर्वोत्तर राज्य	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन	480
अरुणाचल प्रदेश	एमआई-172 (प्रथम) एमआई-172 (द्वितीय) बेल 412	960 1200 1300
सिक्किम	बेल-407	1200
मेघालय	डॉफिन	1000
नागालैंड	बेल 412 (प्रथम) बेल 412 (द्वितीय)	1200
मिजोरम	डॉफिन	1200
मणिपुर	बेल 412 (प्रथम) बेल 412 (द्वितीय)	1180

वित्त वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए जारी व्यय/निधियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय/ जारी निधि
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00
2020-21	72.50
2021-22	100.00
2022-23	100.00
2023-24	88.00
2024-25	110.00

****